<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>16.12.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, गौतम मल्होत्रा और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पर्यावरण संबंधी अपराध के मामलें में जारी धन शोधन जाँच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत माननीय विशेष न्यायालय पीएमएलए, जालंधर में 15.12.2025 को अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

ई.डी. ने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मेसर्स मैलब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ रिवर्स बोरिंग के माध्यम से गहरे जलभृतों में अनुपचारित अपशिष्ट जल के प्रवाह के द्वारा जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए दायर आपराधिक शिकायत के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच में पता चला कि मेसर्स मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की औद्योगिक इकाई, जो ग्राम मंसूरवाल, तहसील ज़ीरा, जिला फिरोज़पुर में स्थित है, भूजल के जानबूझकर और स्वेच्छा से प्रदूषण करके अपराध के आगम (पीओसी) के उत्पादन और कब्जे में शामिल थी। यह इकाई अपने दैनिक कार्यों के माध्यम से, रिवर्स बोरिंग के माध्यम से गहरे जलभृतों में अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्टों के लगातार और गुप्त निर्वहन में लगी हुई थी, और पास की भूमि, नालियों और एक आसन्न चीनी मिल पर अपशिष्ट जल छोड़ रही थी। मेसर्स मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने भूजल, आस-पास के जल निकायों और क्षेत्रों के निरंतर पर्यावरण प्रदूषण के आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अपने कारखाने का संचालन किया था और इस प्रकार जाँच के दौरान शामिल अवधि के दौरान 80 करोड़ रुपये की पीओसी उत्पन्न और अर्जित की थी।

पूर्व में, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 16.07.2024 को छह स्थानों पर तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान 78.15 लाख रुपये की नकदी बरामद और जब्त की गई। इसके अलावा, मेसर्स मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की भूमि, भवन और संयंत्र एवं मशीनरी सहित 79.93 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को 13.12.2025 की तारीख के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से मामले में कुर्क किया गया है।

आगे की जांच जारी है।